

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित),  
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),  
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक:- 23/9/26

विषय:- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाईन अधियाचना प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के विरुद्ध समयबद्ध तरीके से राशि आवंटन हेतु ऑनलाईन अधियाचना भेजने की व्यवस्था की गयी है। प्राप्त ऑनलाईन अधियाचना के विश्लेषण से यह ज्ञात हो रहा है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित अधियाचना को संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के द्वारा क्रमानुसार पहले प्राप्त होने वाले अधियाचना को पहले अग्रसारित नहीं किया जाता है, बल्कि बिना किसी कारण/अभ्युक्ति अंकित किये ही अधियाचना को लंबित रखा जाता है तथा बाद में आने वाले अधियाचना को पहले अग्रसारित किया जाता है।

आप अवगत हैं कि सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बिना किसी कारण के तीन दिनों से अधिक मामले को अपने पास लंबित नहीं रखा जाना है। सरकारी कार्यों में कुछ खास ऐजेंसी/संवेदकों को चिन्हित कर उनके अधियाचना को पहले अग्रसारित करना अथवा लंबित रखना किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। इससे न केवल राशि आवंटन में विलंब होती है, बल्कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में निदेशानुसार अनुरोध है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित ऑनलाईन अधियाचना में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है, तब उसमें आवश्यक सुधार/अभ्युक्ति अंकित करते हुए यथाशीघ्र वापस किया जाय अथवा वैसी अधियाचना जिसमें सभी वांछित प्रविष्टि/अभिलेखों संलग्न हो उसे क्रमानुसार अपनी स्पष्ट अनुशंसा अंकित करते हुए तीन दिनों के अन्दर अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह)  
सरकार के अपर सचिव।